बिहार सरकार
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः– **स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत सभी चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित) तथा ममता कार्यकर्ता (स्वैच्छिक कार्यकर्ता) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा चार लाख रूपया अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

1 स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत सभी चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित) तथा ममता कार्यकर्ता (स्वैच्छिक कार्यकर्ता) राज्य की चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा में सुधार परिलक्षित हो रहा है।

2. राज्य के सभी अस्पतालों में टीका कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, ओ0पी0डी0 एवं इमरजेन्सी सेवाओं में अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों की अहम् भूमिका है। अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के गैर योजना के विभिन्न विपत्र कोडों के अंतर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में उपबंधित राशि से किया जाता है।

3. राज्य के सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जहां प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध है) में राज्य सरकार द्वारा प्रसव के लिए आने वाली माताओं एवं नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–497 (12) दिनांक–20.08.2009 के आलोक में ममता (स्वैच्छिक कार्यकर्ता) की व्यवस्था की गई है। ममता कार्यकर्त्ताओं का चयन जिला रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है। वर्त्तमान में इनकी संख्या–4,811 है। संस्थागत प्रसव की संख्या मे वृद्धि के अनुसार ममता की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जाती है। ममता को प्रति प्रसव 100 रूपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के गैर योजना के विभिन्न विपत्र कोडों के अंतर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में उपबंधित राशि से किया जाता है।

4. स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित) तथा ममता कार्यकर्ता (स्वैच्छिक कार्यकर्ता) की अहम् भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि सेवा अवधि के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

5. अनुग्रह अनुदान की राशि की भुगतान के लिए गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत विपत्र कोड के संबंध में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की 500 (पांच सौ) प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित की जाय तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/08/2016

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–39/2015/87(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–39/2015/87(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–I महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

II. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–39/2015/87(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त, के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–39/2015/87(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–I. मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

II. सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

III. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–39/2015/87(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।